भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
7वां तल, मयूर भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

परिपत्र

सं. आई.बी.बी.आई./एल.आई.क्यू./67/2024 **13 फरवरी, 2024**

सेवा में,
समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक
समस्त मान्यताप्राप्त दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं
समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक एजेंसी
(रजिस्ट्रीकृत ईमेल पतों पर मेल द्वारा और आई.बी.बी.आई. की वैबसाइट पर)

महोदय/महोदया

विषयः स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया में जानकारी रिपोर्ट/साझा करना

किसी वित्तीय सेवा प्रदाता का स्वैच्छिक समापन आरंभ करने के लिए अनुपालन

1. संहिता में कारपोरेट व्यक्तियों की स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के लिए उपबंध किया गया है । तथापि, धारा 3 की उपधारा (7) में 'कारपोरेट(निगमित) व्यक्ति' की परिभाषा में किसी वित्तीय सेवा प्रदाता(एफ.एस.पी.) को अपवर्जित किया गया है । दिवाला और शोधन अक्षमता(वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और समापन कार्यवाहियां और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन) नियम, 2019 के साथ पठित धारा 227 में ऐसे वित्तीय सेवा प्रदाताओं को, जिन्हें केंद्र~~केन्द्रीय~~ सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, वित्तीय विनियामक से परामर्श करने के पश्चात्, समुचित विनियामक की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के पश्चात्, स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए अनुज्ञात किया गया है । यह भी पाया गया है कि कुछ वित्तीय सेवा प्रदाताओं ने अधिसूचना और/या समुचित वित्तीय विनियामक की पूर्व अनुज्ञा के बिना स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया आरंभ कर दी है ।

2. तदनुसार, यह निदेश दिया जाता है कि परिसमापक यह सुनिश्चित करेगा कि यदि कारपोरेट व्यक्ति वित्तीय सेवा प्रदाता के प्रवर्ग के अंतर्गत आता है तो वह यह घोषणा करेगा किः

(i) वित्तीय सेवा प्रदाताओं के प्रवर्ग को केन्द्रीय सरकार द्वारा संहिता की धारा 227 के अधीन अधिसूचित किया गया है, और

(ii) कारपोरेट व्यक्ति ने समुचित विनियामक से पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त कर ली है ।

अंतिम रिपोर्ट, प्ररूप ज और विघटन आदेश को आई.बी.बी.आई. के साथ साझा करना

3. यह निदेश दिया जाता है कि परिसमापक विनियम 38 के अनुसार न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष फाइल किए गए प्ररूप ज और अंतिम रिपोर्ट तथा विघटन के आदेश की प्रति बोर्ड को ईमेल आई.डी. liqvol@ibbi.gov.in पर प्रस्तुत करेगा ।

4. यह परिपत्र दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 196 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है ।

भवदीय
हस्ता.
(राजेश तिवारी)
महाप्रबंधक